# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
## पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

132/2024
एमएस : 2024/380
दिलप्रीतसिंह रैना पुत्र सुरजीतसिंह जाति कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन वार्ड नं. 5 ज्योति नगर मकान नं. 246 तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राज.। –:प्रार्थी

बनाम

1. कमलजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन वार्ड नं. 20 कीर्ति नगर तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राज.।
2. सुरजीतसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन वार्ड नं. 5 ज्योति नगर मकान नं. 246 तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राज.।
3. मनजीत कौर पत्नी सरजीत सिंह जाति कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन वार्ड नं. 5 ज्योति नगर मकान नं. 246 तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राज.।
4. गितांश कौर पत्नी नवजोतसिंह पुत्री सरजीतसिंह जाति कश्मीरी ब्राहाम्ण डिगयाना कैम्प जम्मू तहसील जम्मू जिला जम्मू।
5. चिरंजीव कौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन वार्ड नं. 5 ज्योति नगर मकान नं. 246 तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार उप तहसीलदार मुकलावा राजस्व तहसीलदार। –:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम</u>

तारीख रजू 03.12.2024

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री अजीतसिंह मुंजाल प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री गुरबक्शसिंह अधि. अप्रार्थी सं. 1–2।
3. अजीतपालसिंह अधि. अप्रार्थी सं. 4–5।

–: <u>निर्णय</u> :– दिनांक :–05.06.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं प्रार्थी की दादी अमृत कौर पत्नी बलदेवसिंह जाति कश्मीरी ब्राहाम्ण साकिन 22 एन.पी. को कश्मीरी रिफयूजी विस्थापित होने के कारण जीवों के आधार पर चक 22 एनपी नहरी/बारानी के मुरब्बा नं. 16 पं.नं. 177/326 कुल 3.543 है. नहरी/ बारानी भूमि गुजारा हेतु पाकिस्तान से आये विस्थापित होने के कारण रियाती दर पर 300/– रूपये प्रति बीघा की दर से आवंटन की गई। उक्त भूमि में प्रार्थी का हक व हिस्सा जन्म से ही उक्त भूमि में निहित था उक्त भूमि प्रार्थी की दादी को जीवों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित होने के कारण गुजारें हेतु आवंटित हुई थी यह भूमि प्रार्थी के पिता सुरजीतसिंह की खुद पैदा करता भूमि नहीं है यह भूमि पाकिस्तान में छोड़ी गई पैतृक संपति की एवंज में आवंटन हुई थीं इस कारण प्रार्थी की दादी को जरिये वसीयत [illegible] का कोई अधिकार नहीं था इस कारण उसके द्वारा की गई [illegible] दिनांक 05.12.1990 वसीयत करने की तिथि से ही विधि [illegible] दिनांक 05.12.1990 कूटरचित तरीके से तैयार की गई है अमृतकौर की मृत्यु माह फरवरी 2024 में हुई है। इस वसीयत के आधार पर उप तहसीलदार मुकलावा ने प्रकरण संख्या 20/24 बाबत इंतकाल दर्ज करने की वसीयत के [illegible]पतियों बाबत सूचना प्रकाशित की है। वादी तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 के पिता/पति उक्त भूमि का इंतकाल दर्ज कर बेचने की फिराक में है यदि सरजीतसिंह प्रतिवादी अपने हिस्से की जमीन विक्रय कर देता है तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 अपने हिस्से से महरूम हो जायेगे व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी। जो विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 14:01:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

[cut off] कानूनन गलत है। प्रार्थी ने दिनांक 18.11.2024 को वसीयत इंतकाल दर्ज [cut off]र आपति भी पेश की है जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। [cut off]को स्पष्ट कहा गया है आप इस भूमि के संबंध में स्थगन आदेश लेकर [cut off]न तो आपके आपत्ति प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। यदि [cut off]यत पर इंतकाल इर्ज होकर सुरजीतसिंह अपनी भूमि का विक्रय कर देता है [cut off]वादी तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थी तथा [cut off]र्थीगण संख्या 4 व 5 वादी की बहने है तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 प्रार्थी की [cut off]ा है जो कि वृद्व हैं। सरजीतसिंह अप्रार्थीगण के हिस्सा में 1.772 है. भूमि [cut off]ती है उसमें से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा [cut off]से प्रत्येक के हिस्सा में 0.354 है. नहरी/बारानी भूमि आती है इस भूमि में से [cut off]063 है. बारानी भूमि है तथा 2.480 है. नहरी भूमि है जिसका विभाजन नही [cut off]रानी भूमि के सामान विभाजन जिसमें खाला व रास्ते की सुविधा अनुसार खाता [cut off]भाजन किया जाना है। अमृतकौर द्वारा वसीयत दिनांक 05.12.1990 से ही [cut off]भाव शून्य है क्योकि यह भूमि उकसी खूद पैदाकर्ता भूमि नहीं है। विरास्तन [cut off]मि में सभी वारिसों का हक व हिस्सा होता है। इस प्रकार वादी का उक्त भूमि [cut off]े 1/2 हिस्सा में से पांचवा हिस्सा यानि की 0.354 है. नहरी/बारानी भूमि [cut off]हिस्सा में आती है जिसे वह पाने की कानूनी रूप से हकदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को कई बार उक्त भूमि में से उसके हिस्सा की भूमि उसे दिये जाने हेतु कहा परन्तु वह टालमटोल करते रहे अंतिम बार उसे दिनांक 24.11.2024 को कहा गया परन्तु वह हिस्सा देने से स्पष्ट रूप स इंकार हो गये बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत है। उक्त वसीयत उनके निष्पादन की दिनांक से ही विधि विरूध होने के कारण प्रभाव शून्य है जिन्हे प्रभाव शून्य करवाने का प्रार्थी अधिकारी है तथा अपने हिस्सा की भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर भूमि पाने का अधिकारी है जिससे उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जान उचित होगा ताकि अनावश्यक वादकरण पैदा न हो। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को भूमि का लैडहोल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उप तहसीलदार मुकलावा को वसीयत का इंतकाल दर्ज करने का प्रकरण उनके न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन क्षति तीनों बिन्दू वादिया के पक्ष में है जिसमें वादिया का हक व अधिकार है अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वसीयत दिनांक 05.12.1990 मृतक अमृतकौर पत्नी बलदेवसिंह साकिन 22 एनपी तहसील रायसिंहनगर दिनांक 05.12.1990 को प्रभाव शून्य घोषित कर भूमि चक 22 एनपी नहरी/बारानी के मुरब्बा नं. 16 पं.नं. 177/326 कुल 3.543 है. नहरी/बारानी भूमि में से वादी के पिता का हिस्सा 1.772 है. मे से वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का हिस्सा प्रत्येक 0.354 है. कुल 1.772 है. घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु धारा 212 आरटीएक्ट प्रार्थी विरूध अप्रार्थीगण डिग्री फरमाये जाने की कृ[illegible] विरूध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वह वा[illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी कि जावे की वह वाद ग्रस्त भूमि [illegible] मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की तरफ से श्री [illegible] बक्शसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा के साथ प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि हम अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की माता को पुख्ता आवंटित हुई थी [cut off]ना कि पाकिस्तान में छोड़ी गई भूमि के क्लेम में इसलिए वादग्रस्त भूमि हमारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 14:01:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

की स्वयं की खुद पैदा करदा भूमि है। जिस पर समस्त हक हकूक उसको थे। अप्रार्थी द्वारा वसीयत को कूटरचित दस्तावेज बताया है वसीयत रचित नहीं है बल्कि समक्ष अधिकारी उप–पंजीयक, रायसिंहनगर से पंजीकृत यत है जिसके आधार पर उप–तहसीलदार मुकलावा द्वारा वाद सुनवाई समें प्रार्थी को भी सुना गया है उसके उपरान्त इन्तकाल दर्ज करने के आदेश गये है। यदि वसीयत फर्जी होती तो प्रार्थी हमारे विरूद्ध मुकदमा फौजदारी श्य दायर करता। अमृतकौर द्वारा की गई वसीयत 05.12.1990 वैध व वशील है क्योंकि वादग्रस्त भूमि उसकी स्वयं की पैदा करदा है और उसी के म से खातेदारी सनद् जारी हुई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय धपुर, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी ऐसी भूमि को पुश्तैनी भूमि न नकर जिसमें नाम से खातेदारी सनद जारी की गई है जिसकी स्वयं अर्जित भूमि मानी गई है। वादग्रस्त भूमि का कब्जा स्वर्गीय अमृतकौर ने अपने जीवनकाल में ही हम अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को संभालवा दिया था इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में हमारी काश्त की हुई है हमारी सरसों, गेंहू व चारे की काश्त की हुई है इसलिए भी सुविधा का सन्तुलन भी हम अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में है यदि हमें वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो हमे ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी गणना मुद्राओं में नहीं की जा सकेगी। अप्रार्थीगण की माता अमृत कौर के अप्रार्थीगण चार पुत्रीयां ओर थी एवं अमृत कौर द्वारा की गई वसीयत के अनुसार वादग्रस्त भूमि को उसकी स्वयं अर्जित भूमि मानकर हम अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से बहिस्सा बराबर–बराबर भूमि आई है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 सुरजीतसिंह का वसीयत से प्राप्त हिस्सा 1.772 है. नहरी बारानी भूमि है। जबकि प्रार्थी/वादी इस भूमि को पुश्तैनी भूमि मानता है और यहां प्रार्थी/वादी दोहरे मापदण्ड अपना रहा है यदि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि होती तो उसमें अप्रार्थी संख्या 2 सुरजीतसिंह (प्रार्थी के पिता) का 1/6 हिस्सा यानि 0.591 है. नहरी बारानी भूमि की मांग करता। जबकि प्रार्थी/वादी अपने वादपत्र/प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकन नहीं किया। यह कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की माता अमृतकौर के नाम से पुख्ता आवंटन है तथा खातेदारी भूमि है तथा पूर्व में भू. प्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान भी अप्रार्थी की माता अमृतकौर के नाम से है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 मनजीतकौर अप्रार्थी प्रतिवादी सं. 2 सुरजीतसिंह के कहने सुनने में नहीं है। इसलिए अप्रार्थी सुरजीतसिंह द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी की माता अप्रार्थी संख्या 3 मनजीतकौर को अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल किया हुआ है क्योकि यह अपराधिक किस्म के आदमी है और उन्होने अप्रार्थी संख्या 2 को निरन्तर प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया था। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश मय शपथ–पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पेश कर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे [illegible] प्रार्थी से दिलाया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की तरफ से अजीतपाल[illegible]लतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन [illegible] निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फर[illegible] जिसमें अप्रा[illegible] को कोई आपत्ति नहीं है।

3. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। [illegible]गण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जिसमें अप्रार्थी मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि को बैय करने बाज व ममनु रहें तब तक रकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु दिनांक 03.012.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 14:01:39 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
उपखण्ड [illegible] रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

स्थाई करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने
ाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया विवादित भूमि
मृत कौर स्वयं को आवंटन हुई थी जिसकी सनद दिनांक 13.09.1982 को
मृतकौर के नाम जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा जारी की गई है अतः प्रार्थी का
र्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

हस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। तथा
त्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। पत्रावली में ऐसा कोई
स्तावेज पेश नहीं किया है जिससें यह प्रमाणित होता हो कि भूमि पाकिस्तान
धिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति को जीवों के आधार पर आवंटित की हो।
आवंटन दाखिला रजिस्टर की प्रति भी पेश नहीं की गई है। सनद अमृतकौर
पत्नी श्री बलदेवसिंह जाति ब्राहाम्ण सिख साकिन 22 एनपी के नाम श्रीमान्
जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 14.09.1982 को जारी की इससें
यह प्रमाणित होता है कि यह अमृतकौर की स्व अर्जित सम्पति है। अमृतकौर
द्वारा दिनांक 05.12.1990 को एक पंजीबद्व वसीयत अपने पुत्र सुरजीतसिंह व
कमलजीत सिंह के पक्ष में निस्पादित की है जो उप पंजीयक कार्यालय
रायसिंहनगर से पंजीबद्व है। अतः प्रार्थी प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन
एवं अपूणीर्य क्षति के बिन्दूओं को सिद्व करने में असफल रहे है इसलिए प्रार्थना
पत्र धारा 212 आरटीएक्ट को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

**–:आदेश:–**

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीएक्ट को अस्वीकार/खारिज किया जाता है दिनांक 03.12.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 05.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 14:01:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner